

**आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(ख) xix -(ड) के अंतर्गत -स्वप्रकटन  
25.09.2019 के अनुसार सीएजी पैरा की स्थिति**

क्र.सं.	रिपोर्ट सं./वर्ष	पैरा सं.	विवरण	नवीनतम स्थिति
1.	15/2016	11.6	आर्थिक रूप से कमजोर निजी विकासकर्ता को ऋण की मंजूरी (मैसर्स श्री महेश्वर हाइडल प्रोजेक्ट्स)	विद्युत मंत्रालय/सीओपीयू को एटीएन प्रेषित
2.	09/2017	11.5	आरईसी के विचारशून्य निवेश (यूसीएक्स)	विद्युत मंत्रालय/सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित
3.	34/2017		आरईसी एवं पीएफसी द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को ऋण	विद्युत मंत्रालय/ सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित
4.	18/2018	3.3.4	निदेशक मंडल एवं मण्डल समितियों की बैठकें	विद्युत मंत्रालय/ सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित
5.	18/2018	3.3.6.3	सीपीएसई जहां आवश्यक था, समीक्षा नहीं की गई	विद्युत मंत्रालय/ सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित
6.	18/2018	3.3.7	स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा	विद्युत मंत्रालय/ सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित
7.	18/2018	4.5.2.1	निर्धारित राशि की तुलना में वास्तविक सीएसआर खर्च में कमी	विद्युत मंत्रालय/ सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित
8.	18/2018	4.5.3.6	प्रशासनिक ऊपरी खर्च	विद्युत मंत्रालय/ सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित
9.	18/2018	5.7.1.1	सॉफ्ट एमओयू लक्ष्यों की समायोजन	विद्युत मंत्रालय/ सीएंडएजी को

				एटीएन प्रेषित
10.	18/2018	6.7.2	सीपीएसई डीपीई में छमाही आधार पर संयुक्त वेंचर की स्थिति को प्रस्तुत नहीं कर रही है	विद्युत मंत्रालय/ सी एंड एजी को एटीएन प्रेषित